सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय
जनपद-मीरजापुर।

आईजीआरएस/सीएम हेल्पलाइन सन्दर्भ संख्याः 60000240214446 दिनांक-

1.	शिकायतकर्ता का नाम, पता व मो0नं0	आवेदिका साधना तिवारी पत्नी ओमकार नाथ तिवारी निवासी सुरेखापुरम कालोनी रीवा रोड थाना कटरा जनपद मीरजापुर मो0-6387233091
2.	विपक्षी का नाम पता व मो0नं0	हरिप्रसाद मिश्र व दयाशंकर मिश्र पुत्रगण स्वं0 शम्भूशरण मिश्र निवासीगण ग्राम भैसोड बलाय पहाड़ थाना इमंम्डगज जनपद मीरजापुर
3.	जाँच अधिकारी का नाम, पद व मो0नं0	उ0नि0 काशी सिंह 9120287828
4.	प्रकरण में FIR दर्ज है, तो FIR का पूर्ण विवरण	नही
5.	विवाद की श्रेणी (जमीन/धरेल/ अपराधिक अन्य विवाद)	जमीन
6.	शिकायत / आरोप का संक्षिप्त विवरण	आवेदिका के पिता की जमीन आवेदिका के ताऊ व चाचा व्दारा जमीन अपने नाम कर लेने के सम्बन्ध मे।
7.	आवेदक/शिकायतकर्ता का बयान	आवेदिका द्वारा बताया गया कि आवेदिका के पिता के हिस्से मे लगभाग 15 बीघे जमीन थी तथा आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था। आवेदिका जब नाबालिग थी तभी आवेदिका के पिता की मृत्यु हो गयी थी। पिता की मृत्यु के बाद आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो से समाप्त हो गया था। आवेदिका का आरोप है
8.	विपक्षीगण के बयान	विपक्षी गण व्दारा वताया जाता है कि आवेदिका के पिता शियाकान्त टीवी के मरीज थे जिनके दवा इलाज मे उनके हिस्से की जमी न बेच कर पिता व्दारा बेच कर कराया गया था आवेदिका के पिता शियाकान्त के बची कुछ हिस्से की जमीन आवेदिका की शादी के लिये बेच दिया गया था।
9.	स्वतन्त्र साक्षी का बयान (नाम, पता, मो०नं०)	इन्द्रेश मिश्र मो0नं0 7224845383 2- विनोद गुप्ता मो0नं0 6263941830
10.	विवाद को लेकर पूर्व में अपराध हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो का पूर्ण विवरण जैसे FIR, NCR, 151/107/116 CrPc अथवा 170/126/135 B.N.S.S आदि कार्यवाही	नही
11.	यदि प्रकरण भूमि विवाद से सम्बन्धित है तो मौके पर गयी संयुक्त टीम व राजस्व टीम का नाम व मोबाईल नम्बर व राजस्व की आख्या सहित कृत कार्यवाही का परिणाम अंकित किया जाये	नही
12.	विवाद की दशा में धारा 107/116 CrPc अथवा 126/135 B.N.S.S की कार्यवाही में कितनी धनराशि के मुचलकों से पाबन्द किया गया, धारा 117 CrPc की पाबन्दी का आदेश संलग्न कर पर्ण विवरण	नही
13.	विवाद को लेकर शरीर सम्बन्धी अपराध कारित हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो विवेचनात्मक कार्यवाही का विवरण	नही
14.	प्रकरण में क्या वादी या किसी पक्ष द्वारा UP-112 को सुचित किया गया है या नहीं।	नही
15.	प्रकरण में धारा 151 CrPc अथवा 170 B.N.S.S की कार्यवाही एक पक्षीय या द्विपक्षीय की गयी तथा आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी तिथि को प्रस्तुत किया गया।	नही
16.	प्रकरण के सम्बन्ध में यदि मा० न्यायालय में कोई वाद प्रचलित है, तो	नही

	मा०न्या० नाम/वाद संख्या/वाद की अद्यतन स्थिति पूर्ण विवरण।	
17.	जाँच अधिकारी के मौके पर जाने का दिनांक तथा गुगल शीट फोटो (अक्षांश देशान्तर सहित)...।	अक्षांश-24.476446 देशान्तर-82.6,2613
18.	प्रार्थना पत्र पहली बार दिया गया है या पर्व में दिया जा चुका है यदि पर्व में दिया गया है तो उसका तिथिवार विवरण तथा परिणाम।	41 बार ,परिणाम – आवेदिका का प्रकरण सिविल प्रकृति का है जिस हेतु आवेदिका को निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आवेदिका बार- बार जाँच अधिकारियो के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
19.	प्रकरण में यदि कोई समझौता हुआ है तो समझौते की प्रति संलग्न करे।	नही
20.	धोखाधड़ी के मामलों में पैसे लेने का पूर्ण विवरण मिला	नही
21.	जमीनी बैनामा धोखाधड़ी में तहसील रजिस्टर्ड कार्यालय से आख्या प्राप्त कर करते हुए अपलोड करें।	नही
22.	मोबाईल चोरी/गुम हो जाने के प्रकरण में सर्विलांश शाखा को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें।	नही
23.	पति-पत्नी सम्बन्धी घरेलू विवादों में सुलह समझौता मध्यस्थता केन्द्र को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर पूर्ण विवरण अंकित करें।	नही
24.	जाँच आख्या/ विवरण/ सारांश-	निवेदन है कि आवेदिका उपरोक्त के उक्त सन्दर्भित शिकायती प्रार्थना पत्र की जाँच मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो पाया गया कि आवेदिका के पिता चार भाई थे जिनकी लगभग 60 बीघे जमीन थी। विपक्षीगण हरिप्रसाद मिश्र व दयाशंकर मिश्र आवेदिका के बड़े पिता है आवेदिका द्वारा बताया गया कि आवेदिका के पिता के हिस्से मे लगभाग 15 बीघे जमीन थी तथा आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था। आवेदिका जब नाबालिग थी तभी आवेदिका के पिता की मृत्यु हो गयी थी। पिता की मृत्यु के बाद आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो से समाप्त हो गया था। आवेदिका का आरोप है कि उसके दोनो ताऊ द्वारा उसके पिता की पुश्तैनी जमीन पर अपना नाम दर्ज करा लिया गया है, तथा विपक्षीगण द्वारा आवेदिका के पिता के नाम दर्ज पुस्तैनी जमीन को कब्जा कर लिया गया है। चूकि आवेदिका व विपक्षी के बीच पुश्तैनी जमीन की कब्जेदारी की बात को लेकर व विपक्षीगणो द्वारा आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो समाप्त होने को लेकर विवाद है जो सिविल प्रकृति का है अतः आवेदिका को हिदायत की गयी कि आवेदिका अपने जमीन की कब्जेदारी के सम्बन्ध मे सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे। आवेदिका व्दारा जाँच आधिकारियो की जाँच से असंतुष्ट होकर बार बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

संलग्नक-

ह0जाचकर्ता अधिकारी:-

13/11/24

उपनिरीक्षक

थाना -ड्रमण्डगंज

थाना-ड्रमण्डगंज
जनपद-मीरजापुर

13.11.24

प्रभारी निरीक्षक

थाना ड्रमण्डगंज

जनपद मीरजापुर ।